

मेसर्स नूरी खाद मिल, संभल

बनाम

आयुक्त, व्यापार कर, उ.प्र.

15 मई, 2007

[एस.बी. सिन्हा और मार्कडेय काटजू, जे.जे.]

यू.पी. व्यापार कर अधिनियम; इसके तहत जारी की गई दिनांक 07.09.1981, 30.09.1982, 31.01.1985, 12.09.1986 की छूट अधिसूचनाएं:

सींग और खुर छूट की तुलना में व्यापार कर की छूट अधिसूचनाएं:- धारित, कानून में इन शर्तों की किसी भी परिभाषा के अभाव में, कर लगाने के उद्देश्य से आम बोलचाल में समझे जाने वाले अर्थ को सौंपा जाना चाहिए-आम बोलचाल की भाषा में भी जानवर का सींग और खुर, जानवर की हड्डी का हिस्सा नहीं हो सकता है-उच्च न्यायालय ने यह राय देकर गंभीर गलती की कि, कुचली हुई हड्डी में, कुचला हुआ सींग और खुर भी शामिल होगा। मामले को नये सिरे से विचार के लिए ट्रिब्यूनल में वापस भेज दिया गया है।

इस अपील में निर्धारण के लिए जो प्रश्न उठा, वह यह था की, कि क्या उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जारी विभिन्न छूट अधिसूचनाओं के तहत जानवरों के सींगों और खुरों को, उत्तरप्रदेश राज्य के वाणिज्य कर के तहत, कुचली हुई हडडी या उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि कुचला हुआ सींग और खुर न तो हडडी है और न ही कुचली हुई हडडी। एक छूट अधिसूचना में इसके उल्लेख के बावजूद, ऐसा होता है; उर्वरक के रूप में बेचे जाने का चरित्र न खो जाये और इसलिए उच्च न्यायालय का विचार सही नहीं था।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए माना :-

उच्च न्यायालय ने यह राय देकर गंभीर गलती की कि कुचली गई हडडी में, कुचले हुए सींग और खुर भी शामिल होंगे। यह माना गया कि सींग और खुरों को आम बोलचाल में हडडी माना जाता है और अधिसूचना में इसका समावेश एक स्पष्टीकरण प्रतीत होता है। कानून में जिस शब्द की किसी परिभाषा के अभाव में, कर लगाने के प्रयोजन के लिए आम बोलचाल में समझे जाने वाले अर्थ को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। आम बोलचाल में भी जानवर का सींग और खुर, जानवर की हडडी का हिस्सा नहीं हो सकता है।

ट्रिब्यूनल का निष्कर्ष है कि कुचले हुए सींग और खुर का उपयोग केवल खाद के रूप में किया जाता है, सहमत नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में कोई विशेषज्ञ साक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। अन्यथा भी, दिनांक 12.09.1986 की अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में, उक्त निष्कर्ष सही प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि कंघी तथा अन्य वस्तुएं भी सींग से बनी होती हैं। इसलिए, न्याय के हित में, मामले को गुण-दोष के आधार पर नये सिर से विचार करने के लिए ट्रिब्यूनल को वापस भेजा जाता है। हालांकि पक्षकार इसके समक्ष अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने के लिए स्वतंत्र होंगे। ट्रिब्यूनल के विवादित कर राशि के 25 प्रतिशत को जमा कराने के निर्देश को भी अपास्त किया गया। (पैरा, 10, 11, 12)

(897 B,C,D,E)

बिक्री कर आयुक्त बनाम मैसर्स भारत बोन्स मिल (2007) 3 स्केल 383, संदर्भित।

सिविल अपील क्षेत्राधिकार: सिविल अपील नंबर 2522/2007

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय व आदेश दिनांक 07.02.2006 से, जो कि व्यापार कर संशोधन नंबर 439/1999 और सी.ए. नंबर 2523-2524/2007 में पारित किया गया।

ध्रुव अग्रवाल और प्रवीण कुमार, अपीलकर्ता की ओर से।

केविन गुलाटी, राजीव के. दुबे और कमलेन्द्र मिश्रा, प्रत्यर्थागण की ओर से।

न्यायालय का निर्णय दिया गया-

श्री एस.बी. सिन्हा, जे.

1. अनुमति दी गई।

2. आम बोलचाल में "सींग और खुर", "हडडी" की एक परिभाषा में नहीं आते हैं। उत्तरप्रदेश राज्य द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं के तहत सींग और खुरों का उपयोग उर्वरक या कुचली हुई हडडी के रूप में किया जा सकता है या नहीं। उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत व्यापार कर अधिनियम इस मामले में शामिल प्रश्न है।

3. यहां अपीलकर्ता कुचली हुई हडडियों के साथ-साथ कुचले हुए सींग और खुर के व्यापारी हैं। यह केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के साथ-साथ उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम के तहत पंजीकृत है।

4. एक ओर सींग और खुर और दूसरी ओर हडडी या कुचली हुई हडडियों के साथ, राज्य द्वारा अलग-अलग व्यवहार किया जाता है। राज्य द्वारा लगभग 07.09.1989 को जारी एक अधिसूचना में हडडियों पर 06 प्रतिशत की दर से बिक्री कर लगाकर, उपभोक्ता को विक्रय की जाती थी। एक अधिसूचना दिनांक 30.09.1982 द्वारा यह घोषित किया गया था कि

हड्डियों की बिक्री या खरीद पर कोई कर का भुगतान नहीं किया जाना था, लेकिन इसमें कुचली हुई हड्डियां शामिल नहीं थीं। उक्त अधिसूचना दिनांक 07-09-1981 को प्रविष्टि संख्या 08 के सामने कुचली हुई हडडी को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया था जिसमें, जैसा कि पहले देखा गया है, 'हडडी' का उल्लेख किया गया है। अधिसूचना दिनांकित 31.01.1985 की एक अधिसूचना द्वारा सींग और खुर सहित कुचली हुई हड्डियों को शामिल नहीं करते हुए, कर के भुगतान से छूट दी गई थी। हालांकि, हम देख सकते हैं कि एक बार फिर 12.09.1986 अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित वस्तु को मूल वस्तु संख्या 32 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था, जो निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	वस्तुओं का विवरण	कर की दर
01	02	03

32 सींग के कंधे और सींग से बने अन्य सभी सामान

5. निर्विवाद रूप से, उर्वरक को व्यापार कर के भुगतान से छूट दी गई है। यह प्रश्न की क्या उपर्युक्त अधिसूचना के बावजूद किसानों को उर्वरक के रूप में उपयोग के लिए बेची जाने वाली, कुचली हुई हड्डियां, व्यापार कर के दायरे में आएंगी या नहीं। बिक्री कर आयुक्त बाम मैसर्स भारत बोन्स मिल (2007) 3 स्केल 383. इसमें उपर्युक्त छूट अधिसूचनाओं के प्रभाव पर ध्यान नहीं दिया गया था, क्योंकि इस

न्यायालय का ध्यान उस ओर आकर्षित नहीं किया गया था। इस न्यायालय ने राय दी :-

"इसके अलावा यह सर्वविदित है कि यह प्रश्न कि क्या कोई वस्तु बिक्री कर के दायरे में आएगी या नहीं, सामान्य कानून की भाषा में इसकी पहचान को ध्यान में रखते हुए, विचार किया जाना चाहिए। यदि उक्त परीक्षण को लागू करते हुए यह होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखें कि यदि एक वस्तु को आमतौर पर दूसरी वस्तु के रूप में नहीं जाना जाता है; तो आमतौर पर पूर्व वस्तु के संबंध में कर कानून के प्रावधानों को लागू करने की अनुमति दी जावेगी, जो कर कानून के दायरे में आती है। किसी भी घटना में ऐसा प्रश्न अवश्य होना चाहिए, क्षेत्र में विशेषज्ञ की राय को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए। हमने उपर 'हडडी के भोजन' और 'कुचली हडडी' के बीच अंतर देखा है। उक्त वस्तुओं की विभिन्न उपयोगिताओं को स्वयं इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी देखा है। उच्च न्यायालय या उस मामले में ट्रिब्यूनल के पास इस आशय के विशेषज्ञ की राय का लाभ नहीं था कि क्या, कुचली हुई हड्डियों का उपयोग, केवल उर्वरक के

उद्देश्य से किया जा सकता है या क्या कुचली हुई हड्डियों को केवल उर्वरक के रूप में उपयोग करने के लिए किसानों को बेचा जाता है।"

उक्त प्रश्न को बाद के मामलों के लिए खुला छोड़ दिया गया था।

6. एक मामले में अर्थात् आयुक्त, व्यापार कर, उत्तरप्रदेश, लखनऊ बनाम मैसर्स नूरी मन्थोर मिल, मुरादाबाद रोड, सबल के मामले में ट्रिब्यूनल तथ्य की खोज पर पहुंच गया है।

".....क्योंकि कुचली हुई हड्डियों पर तो 06 प्रतिशत की कर से कर देनदारी बनती है, लेकिन कुचली हुई हड्डियों के विरुद्ध सींग और हड्डियों का कोई विवरण नहीं दिया गया है, अर्थात् सरकार का उद्देश्य कर वसूलना है। कुचली हुई हड्डियों पर व कुचली हुई हड्डियों व सींगों पर कर न वसूला जावे। विद्वान वकील द्वारा यह भी दलील दी गई कि कुचले हुए सींगों और खुरों का उपयोग विनिर्माण (एसआईसी.) का उपयोग, खाद के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है और खाद एक कर मुक्त वस्तु है....."

7. उसके विरुद्ध जो अपील की गई थी, उसमें उच्च न्यायालय ने दिनांक 07.02.2006 के आक्षेपित निर्णय के आधार पर निम्नानुसार निर्णय लिया:-

".....सींग और खुर सहित हड्डियों को छूट दी गई है, लेकिन कुचली हुई हड्डियों को बाहर रखा गया है और कर योग्य बनाया गया है। जब सींग और खुर को हड्डियों में शामिल किया गया है तो बहिष्करण भाग में कुचली हुई हडडी में कुचले हुए सींग और खुर भी शामिल हैं। आम बोलचाल में भी सींग और खुर को हड्डियां माना जाता है। इस प्रकार अधिसूचना में हड्डियों में सींग और खुर को शामिल करना केवल स्पष्टीकरण प्रतीत होता है। चूंकि कुचली हुई हडडी को "सींग और खुर सहित हडडी" प्रविष्टि से बाहर रखा गया है। मेरे विचार में कुचले हुए सींग और खुर, कुचली हुई हड्डियां हैं, जिनको भी बाहर रखा माना जाता है। ट्रिब्यूनल ने कुचले हुए सींग और खुरों को उर्वरक के रूप में मानने में भी गलती की है। मैसर्स हिन्दुस्तान बोन मिल प्राइवेट लिमिटेड बनाम आयुक्त व्यापार कर, रिपोर्टेड इन (2005) यू.पी.टी.सी. 885 में रिपोर्ट किया गया है कि इस न्यायालय ने माना है कि कुचली हुई हडडी,



उर्वरक नहीं है। मामले के इस दृष्टिकोण में ट्रिब्यूनल का आदेश रद्द किया जाना चाहिए और ट्रिब्यूनल के समक्ष व्यापार कर आयुक्त द्वारा दायर अपील की अनुमति दी जानी चाहिए।"

8. उक्त निर्णय के बाद उच्च न्यायालय ने हमारे समक्ष अन्य दो अपीलों से जुड़े मामलों में कर की विवादित राशि का 25 प्रतिशत पूर्व जमा करने के ट्रिब्यूनल के निर्देश में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया।

9. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ध्रुव अग्रवाल का कहना था कि कुचला हुआ सींग और खुर, न तो हड्डी है और न ही कुचली हुई हड्डी है। बावजूद इसके कि एक छूट अधिसूचना में इसका उल्लेख है। यदि उर्वरक के रूप में बेचे जाने का अपना चरित्र नहीं खोता है और इसलिए उच्च न्यायालय का विचार सही नहीं था।

10. हमारी राय में उच्च न्यायालय ने यह राय देकर गंभीर गलती की कि कुचली गई हड्डी में, कुचले गये सींग और खुर भी शामिल होंगे। यह माना गया कि सींग और खुरों को आम बोलचाल में हड्डी माना जाता है और अधिसूचना में इसका समावेश "स्पष्टीकरण जैसा प्रतीत होता है।" कानून में इस शब्द की किसी परिभाषा के अभाव में कर लगाने के उद्देश्य से इसका वही अर्थ दिया जाना चाहिए, जो आम बोलचाल में समझा जाता है। आम बोलचाल में भी जानवर का सींग और खुर जानवर की हड्डी का

हिस्सा नहीं हो सकता। इसलिए हमारी राय में उच्च न्यायालय उपर्युक्त निष्कर्ष पर पहुंचने में स्पष्ट रूप से त्रुटि में पड़ गया।

11. हालांकि, हम ट्रिब्यूनल के इस निष्कर्ष से भी सहमत नहीं हो सकते कि कुचले हुए सींग और खुर का उपयोग केवल खाद के रूप में किया जाता है। इस संबंध में कोई विशेषज्ञ साक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। अन्यथा भी दिनांक 12.09.1986 की अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए उक्त निष्कर्ष सही प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि कंघी व अन्य वस्तुएं सींग से बनी होती हैं।

12. इसलिए, हमारी राय है कि न्याय के हित को पूरा किया जावेगा, यदि आक्षेपित निर्णयों को रद्द कर दिया जावे और मामले को गुण-दोष के आधार पर नये सिरे से विचार करने के लिए ट्रिब्यूनल को वापस भेज दिया जावे। पक्षकारों के लिए यह खुला रहेगा कि वे इसके समक्ष अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत कर सकें। ट्रिब्यूनल द्वारा विवादित कर राशि का 25 प्रतिशत जमा कराने के निर्देश को भी माफ करने का निर्देश दिया गया है। उपर्युक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ इन अपीलों को अनुमति दी जाती है। हालांकि, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हर्जा खर्चा के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जावेगा।

एस के एस

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी जगदीश कुन्तल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

**अस्वीकरण:** यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।